दिनांक 14.08.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

एसटीपी स्थापना की अनुमति के लिए महापौर परिषद से मिली स्वीकृति निगम को इससे मिलेगा राजस्व, शव दफन के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर भी बनी सहमति

भिलाई नगर । महापौर परिषद के सदस्य श्री नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी की उपस्थिति में आज दिन शुक्रवार को निगम के सभागार में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए महापौर परिषद की बैठक हुई। जहां एसटीपी की स्थापना के लिए विष्णु केमिकल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र को अनुमति प्रदान करने के लिए सर्वसम्मति से महापौर परिषद के सदस्यों ने सहमति जताई! इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के साथ ही निगम को इससे राजस्व की प्राप्ति भी होगी! जल कार्य विभाग द्वारा किए गए गणना के अनुसार 5 रुपए प्रति किलोलीटर नाले की जल को लेने की एवज में लिया जाएगा! जितना जल विष्णु केमिकल लिमिटेड द्वारा लिया जाएगा उसकी गणना इसी आधार पर करते हुए राशि की वसूली की जाएगी! बता दें कि विष्णु केमिकल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नंदिनी रोड भिलाई के द्वारा एसटीपी की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था! शव दफन के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर भी लिया फैसला भिलाई क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय द्वारा शव दफन के लिए कब्रिस्तान, सतनामी समाज एवं कबीरपंथी समुदाय के शव के अंतिम संस्कार के लिए जमीन की मांग लंबे समय से की जा रही थी , मांग के अनुसार निगम क्षेत्र में बड़े भूखंड की आवश्यकता है, परंतु जमीन की अनुपलब्धता के चलते इसके लिए नगर पालिक निगम भिलाई सीमा क्षेत्र से बाहर लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र में नजूल रिक्त भूमि उपलब्ध कराने नजूल शाखा कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग को पत्र प्रेषित किया जाएगा! महापौर परिषद के सदस्यों ने इसके लिए सहमति दी है! पुराने नेहरू नगर के सामने बने उद्यान की देखरेख , संधारण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य ओल्ड नेहरू नगर रेसिडेंस एसोसिएशन करेगी पुराने नेहरू नगर के सामने बने उद्यान की देखरेख, संधारण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य स्वयं के व्यय से करने के लिए कनिका जैन अध्यक्ष/प्रबंधन समिति ओल्ड नेहरू नगर प्रेसिडेंट एसोसिएशन के द्वारा आवेदन किया गया था! इस प्रकरण को जोन आयुक्त ने महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया! महापौर परिषद के सदस्यों ने चर्चा उपरांत 1 वर्ष के लिए 15 शर्तों के आधार पर उद्यान के देखरेख, संधारण एवं सौंदर्यीकरण करने पर सहमति जताई है! यदि 1 वर्ष में इन शर्तों का उल्लंघन प्रबंधन द्वारा किया जाता है तो इस पर उचित एवं अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त का होगा! इसी प्रकार से जोन क्रमांक एक एवं 4 में पाइपलाइन संधारण कार्य , स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पीली मिट्टी चौक , रेशने आवास, नेहरू

नगर पूर्व में स्थित , ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास , संतोषी पारा में स्थित , आईटीआई के पीछे स्थित एसएलआरएम सेंटर में पुनर्चक्रण किए जाने योग्य कचरे के कचरा पृथकीकरण एवं गीले कचरे से खाद तैयार किए जाने के कार्य हेतु निविदा आमंत्रण के संबंध में , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु अनुमोदन के संबंध में, कुरूद के तालाब को मछली पालन हेतु पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को लीज पर आवंटन करने पर महापौर परिषद के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई! बैठक में महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू , जोहन सिन्हा, डाॅ दिवाकर भारती, दुर्गा प्रसाद साहू, सूर्यकांत सिन्हा, सुभद्रा सिंह, सत्येन्द्र बंजारे, जी राजू, सुशीला देवांगन, सदीरन बानो, निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि, अमिताभ शर्मा एवं पूजा पिल्ले, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा , लेखा अधिकारी जितेंद्र ठाकुर , सचिव जीवन वर्मा , सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।